माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

प्र.कं. /11 पुनरीक्षण याचिका R- 591/III/2011

गजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री बलवंत सिंह, आयु - 62 वर्ष, व्यवसाय - नौकरी, निवासी - ग्राम सेजी तहसील - साडोरा, जिला - अशोकनगर म.प्र.

.....याचिकाकर्ता

श्री प्रद्युम्न शर्मा, अभिभाषक द्वारा आज दि. 25.4.11 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

200 / 25.4.11

बनाम

1. तोफान सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह रघुवंशी
2. हनुमंत सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह रघुवंशी
3. विश्ववीर सिंह पुत्र श्री हनुमंत सिंह
4. राजकुमार सिंह पुत्र श्री हनुमंत सिंह
5. बृजेन्द्र सिंह पुत्र श्री हनुमंत सिंह

   समस्त निवासीगण- ग्राम सेजी तहसील - साडोरा, जिला - अशोकनगर म.प्र.
6. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर अशोकनगर

........रेस्पोडेंटस

(Pallav Tripathi) Ad. 25.04.11

<u>पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 भू- राजस्व संहिता विरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग द्वारा प्रकरण कमांक 395/08-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 12.11.2010 एंव न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर द्वारा प्र.क्र. 18/07-08 में पारित आदेश दिनांक 09.06.2009 के विरूद्ध ।</u>

सम्माननीय न्यायालय,

याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित प्रस्तुत हैः-

1. यहकि, याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश भू- राजस्व संहिता 1969 की धारा 131 के अंतर्गत एक लिखित आवेदन पत्र नायब तहसीलदार महोदय

(44)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 591—तीन/2011 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16—04—2015	आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत अनुपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से श्री ए0के0अग्रवाल एवं श्री कुवंरसिह कुशवाह व अनावेदक क्रमांक 6 शासन की ओर से श्री डी0के0शुक्ला पेनल लॉयर उपस्थित । आवेदकपक्ष एवं आवेदक अधिवक्ता को तीन बार पुकार लगवाई गई परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । बाद पुकार प्रकरण आवेदकपक्ष की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । प्रशासकीय सदस्य	